न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 207 / 2022

उनवान

मोहन पिता रामा माली निवासी डाबला कचरा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थी

बनाम

1– खाना पिता चन्द्र कुम्हार निवासी कलिंजरी 2– ख्यालीराम पिता उदा माली निवासी डाबला कचरा
3– मु0 चांदी पत्नी चोथु माली निवासी डाबला कचरा 4– बालु पुत्र उदा मानी निवासी डाबला कचरा
5– नारायण पिता भेरू माली निवासी डाबला कचरा 6– मुकेश पिता शकर माली निवासी डाबला कचरा
7– रामकुवार पिता चोथु माली निवासी डाबला कचरा 8– सतु पिता खाना माली निवासी डाबला कचरा
9– हरिश चन्द्र पिता चोथु माली निवासी डाबला कचरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री अक्षयराज रेबारी

अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 05.07.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थी के ग्राम **ढाणी भवसागर** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 117 रकबा 0.04 है0, 118 रकबा 0.46 है0, 701 / 115 रकबा 0.15 है0, 704 / 116 रकबा 0.22 है0, 707 / 119 रकबा 0.19 है0** कुल किता **5** रकबा **1.06** हैक्टेयर के **प्रार्थी** काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। **प्रार्थी** एवं **विपक्षीगण** के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षी** को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी सं0 01 एवं अभिभाषक प्रार्थीगण उपस्थित एवं विपक्षीगण सं0 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 स्वयं उपस्थित हो प्रार्थना पत्र बाबत सहमति से पत्थरगढी कराये जाने प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज दिनांक को सीगें से तलब किये जाने से पेश हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता एवं विपक्षीगण सं0 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 उपस्थित हो निवेदन किया कि दोनों पक्ष सहमति से अपनी अपनी आरजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। संबंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा जो पत्थरगढी की जायेगी जिससे दोनों पक्ष सहमत होगें। अतः आज ही सहमति से पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करावें। विपक्षी सं0 02, 05 उपस्थित नहीं होने से अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी स0 02, 05 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने हेतु निवेदन किया अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाती है। प्रकरण, अभिभाषक **प्रार्थीगण** एवं विपक्षीगण के प्रार्थना पत्र का तथा प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम ढाणी भवसागर संवत 2074 से 2077** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है एवं विपक्षीगण पत्थरगढी कराये जाने से सहमत है। अतः **प्रार्थी** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **ढाणी भवसागर** में स्थित **प्रार्थी** की उपरोक्त **ख्‍तेदारी** की आराजीयात् **किता 5 रकबा 1.06 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर **फीस 500 / – रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **05.07.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाडा